[2025] 9 एस.सी.आर 764 : 2025 INSC 1111

आईटीसी लिमिटेड

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 11798/2025)

12 सितंबर, 2025

[जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, *जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अंतर्गत बिना पूर्व वारंट प्राप्त किए की गई जांच एवं जब्ती अवैध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी, जिससे भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराया जा सके?

शीर्ष टिप्पणीयाँ

विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 - धारा 15 - निरीक्षण, जब्ती आदि की शक्ति -दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 165 - विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम 2011 -प्रतिवादी प्राधिकरणों ने अपीलकर्ता के वाणिज्यिक गोदाम पर तलाशी एवं निरीक्षण किया और 7,600 प्री-पैक्ड थोक पैकेज के एक्सरसाइज बुक्स जब्त किए, यह आरोप लगाते हुए कि नियम 24(क), 2011 के नियमों तथा धारा 36(1), 2009 अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। - अपीलकर्ता द्वारा इसे उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि परिसर में प्रवेश से पूर्व कोई तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ 100(4) और 165 का पालन नहीं किया गया। - एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली।- बाद में, खंडपीठ ने उक्त आदेश को निरस्त कर दिया; तथा उसके

विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। - हस्तक्षेप किया गया

अभिनिर्धारित: 1.1 बिना वारंट के किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत की गई प्रत्येक तलाशी में "विश्वास करने के कारण " दर्ज करना अनिवार्य है - तलाशी की आवश्यकता के कारण प्रासंगिक होने चाहिए तथा यह दर्शाना चाहिए कि किसी सूचना (चाहे वह किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त हो या व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हो) के आधार पर मस्तिष्क का समुचित उपयोग किया गया है - ये कारण केवल अनुमान या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित नहीं हो सकते - ऐसे कारण केवल संदेह या व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं हो सकते; एक समझदार व्यक्ति के लिए यह निष्कर्ष निकालने हेतु अधिक ठोस आधार आवश्यक है कि तलाशी और/या जब्ती आवश्यक है। [पैरा 19.2]

1.2 इसी प्रकार, तलाशी के दौरान वस्तुओं, सामग्री या दस्तावेजों की जब्ती से पहले भी मस्तिष्क का समुचित उपयोग होना चाहिए - जब्त की गई वस्तुओं और लागू प्रावधानों के अंतर्गत कथित उल्लंघन के बीच तार्किक संबंध होना आवश्यक है - जब्ती करने वाले प्राधिकारी को इसके कारण दर्ज करने चाहिए, और उन कारणों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री पर उचित रूप से विचार किया गया है। [पैरा 19.3]

1.3 वर्तमान मामले में तलाशी बिना वारंट के की गई, और यह स्वीकार किया गया है कि न तो तलाशी/निरीक्षण के लिए और न ही वस्तुओं की जब्ती के लिए कोई कारण दर्ज किए गए - अतः तलाशी और जब्ती प्रक्रियात्मक त्रुटियों से दूषित हैं - तलाशी से लेकर जब्ती तक की पूरी कार्यवाही अवैध और अस्थिर है, क्योंकि न तो वारंट प्राप्त किया गया और न ही तलाशी, निरीक्षण या जब्ती के लिए कारण दर्ज किए गए - , 2009 की धारा 15 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ 165, 100(4) और 100(5) में निहित अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अवहेलना की गई। [पैरा 20, 23]

1.4 विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत परस्पर जुड़े हुए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि प्राधिकरणों की कार्रवाई मनमानी या शक्तियों के दुरुपयोग/दुरुपयोग का कारण न बने - जब कानून किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देता है, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 20.1]

1.5 2009 स्वयं अपनी धाराएँ 42 और 43 के अंतर्गत उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान करता है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं - तलाशी या जब्ती प्रारंभ करने से पूर्व "विश्वास करने के कारण" दर्ज करना सहित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अधिकारियों के लिए अनिवार्य है; इसका पालन न करने पर कार्रवाई निष्फल हो जाती है और अधिकार का मनमाना प्रयोग माना जाता है। [पैरा 23]

1.6 अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि तलाशी इतनी अत्यावश्यक थी कि वारंट की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके - निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के उसी दिन , 2009 की धारा 48 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया, जिसमें अधिनियम की धाराएँ 29, 36(1) और 36(2) तथा **विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम 2011)**, 18(2) और 27 के उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग शुल्क निर्धारित किया गया और अपीलकर्ता को 15 दिनों के भीतर उत्तर देने का निर्देश दिया गया, अन्यथा आगे विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सही रूप से इन नोटिसों को निरस्त किया, किन्तु खंडपीठ ने त्रुटिपूर्ण रूप से उस आदेश को पलट दिया - अतः प्रतिवादियों द्वारा जारी नोटिस/आदेश तथा खंडपीठ का निर्णय निरस्त किया जाता है और एकल न्यायाधीश का आदेश पुनः स्थापित किया जाता है। [पैरा 23]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 165, 100:

अभिनिर्धारित: धारा 165 बिना वारंट के तलाशी लेने की परिस्थितियों और आवश्यक शर्तों से संबंधित है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक तलाशी से पहले वारंट होना चाहिए - तथा "विश्वास करने के कारण" दर्ज किए जाने चाहिए। - धारा 165 उन परिस्थितियों में लागू होती है, जहाँ आपात स्थिति के कारण वारंट प्राप्त करना संभव नहीं होता।- ऐसे मामलों में अधिकारी,

अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने के बाद तथा यथासंभव उस वस्तु का उल्लेख करते हुए जिसकी तलाशी ली जानी है, किसी स्थान की तलाशी स्वयं ले सकता है या दिला सकता है।- धारा 165(4) के अनुसार, तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधान (धारा 100) धारा 165 के अंतर्गत की गई तलाशी पर भी लागू होते हैं। अतः धारा 165 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है कि आसन्न तलाशी की आवश्यकता के "विश्वास करने के कारण" यथासंभव विस्तार से दर्ज किए जाएँ। साथ ही धारा 100(4) का पालन भी अनिवार्य है। [पैरा 17]

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 - धारा 15 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 93 - "तलाशी", "निरीक्षण"; "जप्ती"; "निरोध":

अभिनिर्धारित:1.1 धारा 15 (2009 अधिनियम) और धारा 93 "तलाशी" और "निरीक्षण" दोनों का उल्लेख करती हैं,- और दोनों को अलग-अलग क्रियाएँ मानती हैं।- निरीक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति के परिसर में उसके अभिलेखों, दस्तावेजों या खातों की जाँच करना, जो संबंधित कानून के अनुसार, प्राधिकरण, "विश्वास करने के कारण" दर्ज करने तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य कानून के अनुपालन की पुष्टि करना होता है। [पैरा 19]

1.2 दूसरी ओर, "तलाशी" का अर्थ अधिक व्यापक है। इसमें किसी भी स्थान पर जाकर उन वस्तुओं, माल, पुस्तकों या दस्तावेजों को ढूँढने की शक्ति शामिल है, जिन्हें छिपाया गया हो और जो किसी उल्लंघन के प्रमाण हो सकते हैं तथा जिन्हें जप्त या जब्त किया जा सकता है। तलाशी या निरीक्षण करने के लिए सामान्यतः वारंट आवश्यक होता है तथा यह भी आवश्यक है कि यह विश्वास करने के कारण हों कि ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। [पैरा 19]

1.3 "जप्ती" का अर्थ है किसी वस्तु को जाँच या जांच-पड़ताल के उद्देश्य से अपने कब्जे में लेना। "निरोध" का अर्थ है ऐसी स्थिति जहाँ मालिक के पास वस्तु का कब्जा तो रहता है, परंतु उसे उसका उपयोग करने से रोका जाता है। [पैरा 19.1]

1.4 विशेष अधिनियम के अंतर्गत तलाशी के बाद जप्ती की प्रक्रिया में एक सूक्ष्म अंतर होता है, जिसमें अनिवार्य चरणों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसी कार्यवाही केवल उल्लंघन के लिए अभियोजन हेतु नहीं, बल्कि आगे के उल्लंघनों को रोकने के लिए भी की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। [पैरा 19.1]

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 - धारा 15(4) - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 165:

अभिनिर्धारित: धारा 15(4) (2009 अधिनियम) में सीआरपीसी के प्रावधानों का संदर्भ इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता कि धारा 165 केवल तभी लागू होगी जब कोई अपराध पहले से दर्ज हो चुका हो। धारा 165 स्वयं अपनी उपधारा (4) में अन्य प्रावधानों को लागू करती है, जिससे किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, धारा 165 "जांच के दौरान" तलाशी से संबंधित है और यह तब लागू होती है जब जांच प्रारंभ हो जाती है। [पैरा 18]

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 - धारा 15(4) - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 100(4), (5) - प्रयोज्यता:

अभिनिर्धारित: धारा 100(4) और 100(5), सीआरपीसी इस मामले में लागू होते हैं। अतः स्थानीय क्षेत्र के दो सम्मानित स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य थी। ऐसे गवाह किसी अन्य क्षेत्र से भी लिए जा सकते हैं, बशर्ते वे स्वतंत्र और सम्मानित हों। किंतु इस मामले में सहायक नियंत्रक के चालक ने, जो निरीक्षण दल का हिस्सा था, गवाह के रूप में कार्य किया, जो कानून के विरुद्ध है। यद्यपि प्रतिवादियों ने यह दावा किया कि स्थानीय क्षेत्र से कोई उपलब्ध नहीं था, परंतु अभिलेखों में यह नहीं दर्शाया गया कि किससे संपर्क किया गया, कब अनुरोध किया गया, क्या लिखित अनुरोध दिया गया, और आगे क्या कार्रवाई की गई। जब्ती पंचनामा भी प्रतिवादियों के इस दावे का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है। यह स्थापित विधि है कि यदि प्रारंभिक कार्यवाही ही अवैध हो, तो उसके बाद की सभी कार्यवाहियाँ अस्थिर हो जाती हैं। कानून का उल्लंघन यह कहकर नजरअंदाज

नहीं किया जा सकता कि इससे कोई हानि नहीं हुई; प्रत्येक उल्लंघन अपने आप में हानि उत्पन्न करता है। [पैरा 21]

विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम), 2011:प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि नियम 24, 2011 नियमों के अनुसार थोक पैकेज पर विशेष घोषणाएँ करना अनिवार्य है। जब्त किए गए सामान, अर्थात् प्री-पैक्ड नोटबुक्स से भरे हुए "गत्ते के मजबूत डिब्बे" (सीएफसी)), नियम 2(ल) के अंतर्गत "थोक पैकेज" की परिभाषा में आते हैं, इसलिए आवश्यक घोषणाएँ पैकेज पर सीधे मुद्रित होनी चाहिए थीं, न कि केवल लेबल के रूप में चिपकाई जानी चाहिए थीं, जैसा कि अपीलकर्ता ने किया।

अभिनिर्धारित: अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि कंटेनर में रखे गए सामान, लेबल पर दिए गए विवरण (जैसे रूप, गुणवत्ता या वजन) से भिन्न थे। जब्ती पंचनामा में केवल यह उल्लेख है कि पैकेजों पर नियम 24(अ) के अनुसार स्पष्ट और प्रमुख घोषणाएँ नहीं थीं, जो यह अपेक्षा करता है कि घोषणाएँ पैकेज पर मुद्रित हों, न कि लेबल के माध्यम से लगाई जाएँ। प्रतिवादियों द्वारा यह विवादित नहीं है कि आवश्यक विवरण दिए गए थे; उनका केवल यह कहना है कि वे मुद्रित न होकर लेबल के रूप में लगाए गए थे। अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि सामान परिवहन के लिए सीएफसी में रखा गया था और आवश्यक विवरण वाला लेबल विधि अनुसार चिपकाया गया था। अतः कथित उल्लंघन अधिकतम एक तकनीकी प्रकृति का था। [पैरा 22]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - विशेष अधिनियमों पर लागूता:

अभिनिर्धारित: जब तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया हो, वे विशेष अधिनियमों पर भी लागू होते हैं। विभिन्न विशेष अधिनियम, जैसे विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009; आयकर अधिनियम, 1961; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; वित्त अधिनियम, 1994; वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 20171985; तथा विभिन्न राज्यों के निरस्त अप्रत्यक्ष कर कानून–इन सभी में तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है, पूर्ण नहीं।

इन सभी अधिनियमों में तलाशी और जब्ती का उद्देश्य सामान्यतः किसी चल रही जांच में साक्ष्य एकत्र करना होता है, और कुछ मामलों में उल्लंघन को रोकना भी होता है। ऐसे सभी मामलों में, जहाँ लागू हो, तलाशी और जब्ती के संबंध में सीआरपीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 19.5]

शब्द एवं वाक्यांश - विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 - धारा 2(न), 15 - "परिसर "; "होने का आशय "; "निरीक्षण का स्थान " - क्षेत्राधिकार का परीक्षण - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - अध्याय VII भाग A-D - धारा 93, 100(4), (5)। [पैरा 13-15.2]

उदघृत निर्णयजन्य विधि

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह और अन्य [1999] 3 एससीआर 977 : मनु/SC/0981/1999: एआई आर 1999 SC 2378 - का अनुसरण किया गया। महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम राज मार्केटिंग और अन्य [2011] 10 एससीआर 722 : (2011) 15 एस सी सी 525; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुबारक अली [1959] Supp. 2 एससीआर 201 : मनु/SC/0038/1959 : एआई आर 1959 SC 707; राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ 2025 लाइव लॉ SC 255; नारायणप्पा और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर मनु/SC/0124/1966: एआई आर 1967 SC 623; अशोक मुनीलाल जैन और अन्य बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (2018) 16 एस सी सी 158; राजस्थान राज्य बनाम रहमान [1960] 1 एससीआर 991 : मनु/SC/0181/1959 : एआई आर 1960 SC 210; रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य मनु/SC/1006/2024 : एआई आर 2024 SC 4311 - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों कि सूची:

विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009; विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के)नियम, 2011; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान;आयकर अधिनियम, 1961; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962; केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944;वित्त अधिनियम, 1994; माल और सेवा कर अधिनियम, 2017; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985.

प्रमुख शब्दों की सूची

विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15; सीआरपीसी की धारा 165; सीआरपीसी की धारा 100; निरीक्षण की शक्ति; अभिग्रहण; तलाशी; निरीक्षण; अभिग्रहण; बिना पूर्व वारंट के निरीक्षण और अभिग्रहण; प्रवेश से पूर्व कोई तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया; बिना वारंट के तलाशी की गई; नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन; विशेष अधिनियम के तहत बिना वारंट के तलाशी; विश्वास करने के कारण; विश्वास करने के कारणों को अभिलिखित करने की अपेक्षा; विवेक का प्रयोग; किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी; व्यक्तिगत जानकारी; प्राधिकार का मनमाना प्रयोग; वाणिज्यिक गोदाम; पूर्व-पैक थोक पैकेज; अभ्यास-पुस्तकों का अभिग्रहण; वस्तुओं का अभिग्रहण; समन और तलाशी; तलाशी या निरीक्षण करने के लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए; माल के अभिग्रहण के लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए; प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के कारण तलाशी और अभिग्रहण दूषित; तलाशी और अभिग्रहण अवैध और असमर्थनीय।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 11798, 2025कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 15.04.2021 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध (WA सं. 572, 2020)

के साथ

सिविल अपील सं. 11799, 2025

अधिवक्तागण

अधिवक्ता. अपीलकर्ता के लिए:

डॉ. ए.एम. सिंघवी, वरिष्ठ वकील, मैसर्स दुआ एसोसिएट्स, एल.के. भूषण, सुश्री राशि बेरी, वी. एन. रघुपति।

अधिवक्ता. उत्तरदाताओं के लिए:

अमन पंवार, ए.ए.जी., सुशील दत्त सलवान, वरिष्ठ वकील, आदित्य पीअरोरा, उदित चौहान, नमित सक्सैना, वी. एन. रघुपति, शिवांशसक्सेना, सुश्री मैथिली एस, सुश्री वृंदा भंडारी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

आर. महादेवन, जे न्यायमूर्ति

1. दोनों एसएलपी में अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलकर्ता आईटीसी लिमिटेड स्टेशनरी वस्तुओं जैसे एक्सरसाइज बुक/नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि का व्यवसाय अपने 'क्लासमेट' ब्रांड के अंतर्गत करता है।दिनांक 02.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 ने विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के तहत अपीलकर्ता के परिसर (सर्वे. संख्या 9/4, A, B 9/2, 9/8, अर्जुनबेट्टाहल्ली गाँव, मदुरै रोड, नेलमंगला तालुक, बेंगलुरु) पर निरीक्षण किया और आईटीसी लिमिटेड एक्सरसाइज बुक्स के 7600 सीएफसी/पैकेज जब्त कर लिए। यह जब्ती विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम) 2011 , 2011 के नियम 24(अ) के कथित उल्लंघन के आधार पर की गई, जो 2009 अधिनियम की धारा 36(1) के अंतर्गत दंडनीय है।जब्ती के पश्चात, दिनांक 02.07.2020 को ही अपीलकर्ता को जब्ती नोटिस तथा कंपाउंडिंग नोटिस जारी किए गए।अपीलकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए कि परिसर में प्रवेश से पूर्व कोई सर्च वारंट प्राप्त नहीं किया गया था तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(4) और 165 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8954/2020 (जीएम-आरईएस) दायर की।इस याचिका में अपीलकर्ता ने उक्त नोटिसों को निरस्त करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 को जब्त किए गए माल को रिहा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

3. दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात, कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04.09.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी नोटिसों को निरस्त कर दिया तथा यह निर्देश दिया कि जब्त किए गए माल को मुक्त किया जाए। यह माना गया कि तलाशी और जब्ती बिना अधिकार-क्षेत्र के की गई थी। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रतिवादियों ने रिट अपील सं. 572/2020 (जीएम-आरईएस) दायर की।

4. विचार करने पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 15.04.2021 के निर्णय द्वारा रिट अपील स्वीकार कर ली और एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया। यह अवलोकन किया गया कि विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ होने पर सर्च वारंट की आवश्यकता नहीं होती है तथा प्राधिकरण को निरीक्षण, तलाशी और जब्ती करने का विधिवत अधिकार है। अतः प्राधिकरण द्वारा की गई तलाशी और जब्ती में कोई अवैधता या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई। इससे आहत होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी (C) No. 16830/2021) दायर की।

5. इस बीच, अपीलकर्ता ने रिट अपील सं. 572/2020 में खंडपीठ के निर्णय की समीक्षा हेतु रिव्यू याचिका सं. 388/2021 भी दायर की, जिसे दिनांक 10.08.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने एसएलपी (C) No. 18336/2022 सर्वोच्च न्यायालय में दायर की।

6. दिनांक 04.11.2022 के आदेश के अनुसार, एसएलपी (C) No. 18336/2022 को एसएलपी (C) No. 16830/2021 के साथ टैग कर दिया गया। तत्पश्चात, इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, इन दोनों मामलों का निपटारा इस साझा निर्णय द्वारा किया।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रारंभ में यह प्रस्तुत किया कि विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम) 2011 , 2011 के नियम 24 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जिससे विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 36(1) के अंतर्गत दंड लगाया जा सके, क्योंकि संबंधित सीएफसी “थोक पैकेज” नहीं

हैं, बल्कि केवल माल के संरक्षण और परिवहन के लिए प्रयुक्त होते हैं।फिर भी, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, नियम 24 के अनुसार आवश्यक घोषणाएँ इन सीएफसी पर लेबल के माध्यम से लगाई गई थीं। इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम राज मार्केटिंग के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें थोक पैकेज और द्वितीयक पैकेज के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है।यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा 2009 अधिनियम और 2011 नियमों की अनुप्रयोगिता के संबंध में जो आपत्तियाँ उठाई गई थीं, उन पर न तो प्रतिवादियों ने और न ही उच्च न्यायालय ने विचार किया, जिससे जब्ती की कार्यवाही की नींव ही दोषपूर्ण हो गई।

7.1 अपीलकर्ता की ओर से दूसरा तर्क यह दिया गया कि विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अंतर्गत निरीक्षण या जब्ती करने के लिए "विश्वास करने के कारण" का होना एक पूर्व शर्त है। किन्तु दिनांक 02.07.2020 की जब्ती रसीद में तलाशी से पूर्व ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, उसी दिनांक की धारा 48 के अंतर्गत जारी कंपाउंडिंग नोटिस में भी ऐसे कारणों का कोई उल्लेख नहीं है। जब्ती और कंपाउंडिंग नोटिस का एक साथ जारी होना, बिना समुचित विचार-विमर्श के, प्रतिवादियों द्वारा मन का प्रयोग न करने को दर्शाता है। यद्यपि माननीय एकल न्यायाधीश ने इस त्रुटि को सही रूप से स्वीकार किया, किन्तु खंडपीठ ने इस पर समुचित विचार नहीं किया।

7.2 यह भी तर्क दिया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(4) के अनुसार तलाशी के दौरान दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। वर्तमान मामले में केवल एक गवाह - नागभूषण, जो प्रतिवादी संख्या 2 का चालक है - उपस्थित था। ऐसा व्यक्ति धारा 100(4) के अर्थ में "स्वतंत्र गवाह" नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, तलाशी से पूर्व या पश्चात "विश्वास करने के कारण" का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही किसी तात्कालिकता या आपात स्थिति का उल्लेख किया गया है, जिससे तत्काल जब्ती को उचित ठहराया जा सके।

प्रतिवादी केवल धारा 102 सीआरपीसी पर निर्भर रहे, जो न तो वारंट की आवश्यकता को समाप्त करती है और न ही जब्ती के औचित्य को।

7.3 वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि संबंधित परिसर, अर्थात् अपीलकर्ता का गोदाम, आम जनता के लिए खुला नहीं था और उसमें प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों तक सीमित था। अतः किसी भी तलाशी या जब्ती से पूर्व प्रतिवादियों को वारंट प्राप्त करना आवश्यक था। यह भी इंगित किया गया कि प्रतिवादियों द्वारा खंडपीठ के समक्ष यह तर्क - कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 केवल बंद परिसरों पर लागू होती है - पहली बार मौखिक बहस के दौरान, बिना किसी अभिवेदन या साक्ष्य के प्रस्तुत किया गया था। ऐसा तर्क केवल प्रतिवादियों की कार्रवाई को पश्चात रूप से उचित ठहराने के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2009 अधिनियम की धारा 2(न), जो “परिसर” को परिभाषित करती है, खुले और बंद परिसर के बीच कोई भेद नहीं करती। इस पहलू पर खंडपीठ द्वारा, यहाँ तक कि समीक्षा याचिका में भी, विचार न करना उसके निर्णय को विधिक रूप से अस्थिर बनाता है।

7.4 वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पास कोई वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जब्ती की मूल आधारशिला ही अवैध थी। इसलिए अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उचित रूप से सहारा लिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 04.09.2020 के आदेश में यह कहते हुए रिट याचिका स्वीकार की कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी, यदि कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना हो, तो रिट याचिका स्वीकार्य होती है। किन्तु खंडपीठ ने इस निर्णय को पलटते हुए यह माना कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के अभाव में रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

7.5 इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वास्तव में उल्लंघन हुआ, क्योंकि जब्ती और कंपाउंडिंग नोटिस एक साथ जारी किए गए, जिससे अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की गई मांग को भी अनदेखा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका को भी बिना उचित विचार के संक्षेप में खारिज कर दिया गया।

7.6 उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इन अपीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाए।

8. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने उत्तर में यह प्रस्तुत किया कि विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वजन, माप या संख्या के आधार पर बेचे जाने वाले सामानों पर सही और सटीक घोषणाएँ करना अनिवार्य किया गया है। इस अधिनियम और इसके नियमों का पालन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। थोक पैकेजों पर उचित घोषणाओं की आवश्यकता व्यापारिक व्यवहार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

8.1 आगे यह प्रस्तुत किया गया कि निरीक्षण और जब्ती अपीलकर्ता के वाणिज्यिक गोदाम में कार्य समय के दौरान की गई थी। यह परिसर न तो निजी आवास था और न ही अप्रवेश्य था। निरीक्षण के दौरान अपीलकर्ता के कर्मचारी उपस्थित थे। जब्ती केवल प्री-पैक्ड नोटबुक्स तक सीमित थी, जिनमें विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम), 2011 के तहत आवश्यक अनिवार्य घोषणाओं का अभाव पाया गया। स्थल पर ही जब्ती पंचनामा तैयार किया गया और वहाँ उपस्थित अधिकृत व्यक्ति को नोटिस प्रदान किया गया।

8.2 यह भी प्रस्तुत किया गया कि गोदाम एक व्यवसायिक स्थान था, जहाँ अन्य व्यक्तियों की पहुँच संभव थी, और वह कोई बंद या निजी परिसर नहीं था। विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2(न) में "परिसर " की परिभाषा का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया कि खंडपीठ ने खुले और बंद परिसरों के बीच सही अंतर किया और यह माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 केवल बंद परिसरों पर लागू होती है। अतः इस मामले में सर्च वारंट का अभाव जब्ती को अवैध नहीं बनाता।

8.3 अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत होने वाले निरीक्षणों पर लागू नहीं होते। धारा 15(4), 2009 अधिनियम केवल उसी सीमा तक सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करती है, जहाँ वे प्रासंगिक हों। अतः अधिनियम और नियमों के अनुपालन की जाँच हेतु की गई कार्रवाई में धारा 15 के अंतर्गत वारंट आवश्यक नहीं है। खंडपीठ ने सही रूप से यह माना कि धारा 15 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को परिसर में प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और उल्लंघन की स्थिति में जब्ती करने का अधिकार है। दिनांक 02.07.2020 की जब्ती नोटिस (संख्या 0691674) में अपराध की प्रकृति और जब्ती के आधार स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं।

8.4 अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विधिक माप-विज्ञान (पैक किए गए वस्तुओं के नियम), 2011 के नियम 24 के अंतर्गत थोक पैकेजों पर विशिष्ट घोषणाएँ अनिवार्य हैं। जब्त वस्तुएँ–अर्थात् प्री-पैक्ड नोटबुक्स से युक्त "गत्ते के मजबूत डिब्बे" (सीएफसी)–नियम 2(ल) के अंतर्गत "थोक पैकेज" की परिभाषा में आती हैं। अतः आवश्यक घोषणाएँ पैकेज पर सीधे मुद्रित होना अनिवार्य था, न कि केवल लेबल के माध्यम से चिपकाया जाना, जैसा कि अपीलकर्ता ने किया। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता

के अनुपालन के दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि घोषणाएँ अपर्याप्त थीं और नियम 24 का उल्लंघन करती थीं।

8.5 आगे यह तर्क दिया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 165 इस मामले में लागू नहीं होती, और धारा 102 सीआरपीसी को विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15(4) के साथ पढ़ते हुए बिना सर्च वारंट के भी वस्तुओं की जब्ती की जा सकती है।

8.6 धारा 100(4) सीआरपीसी के अंतर्गत स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि यहाँ की गई कार्रवाई "निरीक्षण" थी, न कि सख्त विधिक अर्थ में "तलाशी"। अतः दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। केवल एक गवाह–जो प्रतिवादी संख्या 2 का चालक था–की उपस्थिति से जब्ती की वैधता प्रभावित नहीं होती।

8.7 अंततः यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के पास विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 50 के अंतर्गत एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध था। इसलिए, बिना उस उपाय का उपयोग किए सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना अनुचित था, और रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। यह आरोप भी अस्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता के प्रतिवेदन की अनदेखी की गई। यह कहा गया कि उचित अवसर प्रदान किया गया था और खंडपीठ ने रिट अपील में अपने निर्णय में सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है।

8.8 निष्कर्षतः यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 की कार्रवाई विधि और प्रक्रिया के अनुरूप थी, अतः उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

10. इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बिना पूर्व वारंट प्राप्त किए की गई निरीक्षण और जब्ती अवैध थी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी, जिससे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का उपयोग उचित ठहराया जा सके।

11. प्रारंभ में, 2009 अधिनियम की धारा 15 का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> “धारा 15 - निरीक्षण, जब्ती आदि की शक्ति (1) निदेशक, नियंत्रक या कोई भी लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों–चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना (जो लिखित रूप में दर्ज की गई हो) से हो, या उसके व्यक्तिगत ज्ञान से या अन्य किसी माध्यम से–कि कोई भार, माप या अन्य वस्तुएँ, जिनके संबंध में व्यापार या वाणिज्य हुआ है या होने वाला है, और जिनके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है, किसी परिसर में रखी या छिपाई गई हैं या परिवहन के दौरान हैं, तो वह–
>
> (क) किसी भी उचित समय पर ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है तथा उन भार, माप या अन्य वस्तुओं की तलाशी और निरीक्षण कर सकता है, जिनके संबंध में व्यापार या वाणिज्य हुआ है या होने वाला है, तथा उनसे संबंधित अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों का भी निरीक्षण कर सकता है;
>
> (ख) किसी भी भार, माप या अन्य वस्तु तथा किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या वस्तु को जब्त कर सकता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने

के कारण हों कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के किए जाने या किए जाने की संभावना का साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार या वाणिज्य के दौरान या उससे संबंधित हो।

(2) निदेशक, नियंत्रक या कोई भी लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी, उपधारा (1) में उल्लिखित भार या माप से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग भी कर सकता है, और ऐसे भार या माप की अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति इस मांग का पालन करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अंतर्गत जब्त की गई कोई वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली या प्राकृतिक रूप से खराब होने वाली हो, तो निदेशक, नियंत्रक या लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी ऐसे सामान का निपटान निर्धारित तरीके से कर सकता है।

(4) इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।"

11.1 उपर्युक्त प्रावधान के साधारण पठन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक माप-विज्ञान 2009 की धारा 15(1) यह परिकल्पना करती है कि सूचना मौखिक रूप से (जिसे लिखित में दर्ज किया जाना आवश्यक है), या व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर, अथवा लिखित सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ऐसी सूचना या ज्ञान के मूल्यांकन के पश्चात अधिकारी के पास यह "विश्वास करने के कारण" होना चाहिए कि कोई भार, माप या वस्तुएँ–जिनके संबंध में व्यापार या वाणिज्य हुआ है या होने वाला है– और जिनके संबंध में कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है, वे किसी परिसर में रखी हुई हैं, छिपाई गई हैं या परिवहन में हैं।ऐसी स्थिति में, निदेशक, नियंत्रक या कोई भी लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी धारा 15(1)(क) के अंतर्गत किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है तथा ऐसे भार, माप, वस्तुओं, अभिलेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी और निरीक्षण कर सकता है।इसके अतिरिक्त, यदि अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया

गया है या किए जाने की संभावना है, और संबंधित भार, माप, वस्तुएँ, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सामग्री उस अपराध का साक्ष्य प्रदान कर सकती है, तो वह धारा 15(1)(ख) के अंतर्गत उन्हें जब्त कर सकता है।उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि ऐसी तलाशी या जब्ती आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जब्ती संबंधी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।अतः, धारा 15 अपने स्वरूप में यह अनिवार्य करती है कि न केवल तलाशी या निरीक्षण करने के लिए, बल्कि वहाँ से सामग्री जब्त करने के लिए भी “विश्वास करने के कारण” होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, धारा 15 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकारियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

12. वर्तमान मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15(4) में प्रयुक्त शब्द “तलाशी या ज़ब्ती” को ध्यान में रखते हुए यह माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 केवल बंद परिसरों पर ही लागू होती है; और चूँकि संबंधित व्यवसायिक परिसर खुला था, इसलिए धारा 100 सीआरपीसी के पूर्व-आवश्यक शर्तों का पालन करना आवश्यक नहीं था। अतः “निरीक्षण के स्थान ” के दायरे का, जैसा कि 2009 अधिनियम में परिभाषित और लागू किया गया है, परीक्षण करना आवश्यक है।

13. 2009 अधिनियम की धारा 2(न) “परिसर ” शब्द को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है–

> “(न) ‘परिसर’ में सम्मिलित हैं–
>
> (i) वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से, किसी भी नाम से, कोई व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या लेन-देन करता है,
>
> (ii) गोदाम, भंडार या अन्य स्थान जहाँ कोई भार, माप या अन्य वस्तुएँ संग्रहित या प्रदर्शित की जाती हैं,

(iii) वह स्थान जहाँ लेखा-बही या व्यापार/लेन-देन से संबंधित अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं,

(iv) आवासीय घर , यदि उसका कोई भाग व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या व्यापार के लिए प्रयुक्त होता है,

(v) वाहन, पोत या कोई अन्य चल उपकरण, जिसके माध्यम से कोई व्यापार या लेन-देन किया जाता है।"

13.1. "परिसर " शब्द का दायरा व्यापक है, जिसमें न केवल वह स्थान शामिल है जहाँ वस्तुओं का व्यापार या उत्पादन होता है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहाँ उन्हें संग्रहित किया जाता है। इसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहाँ लेखा-बही या अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं, ऐसा आवासीय घर जिसका कोई भाग व्यापार आदि के लिए प्रयुक्त हो, और यहाँ तक कि वह वाहन भी, जिसका उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों में किया जाता है।

14. विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 तीन प्रकार की कार्यवाहियों का प्रावधान करती है, अर्थात्–तलाशी , निरीक्षण और जप्ती। यह प्रावधान किसी अधिकारी को परिसर में प्रवेश कर ऐसे छिपे हुए सामग्री की खोज करने के लिए अधिकृत करता है, जो अधिनियम के उल्लंघन में प्रयुक्त हुई हो या होने वाली हो, और ऐसी तलाशी के दौरान वह उन सामग्रियों का निरीक्षण भी कर सकता है। यदि अधिकारी के पास यह "विश्वास करने के कारण" हों कि उक्त सामग्री साक्ष्य के रूप में उपयोगी हो सकती है, तो वह उसे जब्त कर सकता है।धारा 15(1) की भाषा से यह स्पष्ट है कि अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण होना चाहिए कि कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है तथा उससे संबंधित सामग्री या साक्ष्य परिसर में उपलब्ध है। ये पूर्व-आवश्यक शर्तें निरीक्षण, तलाशी और जप्ती–तीनों पर समान रूप से लागू होती हैं। विशेष रूप से, धारा 15(1)(ख) यह निर्धारित करती है कि जप्ती से पूर्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण होना चाहिए कि संबंधित सामग्री, वस्तुएँ,

अभिलेख या दस्तावेज ऐसे साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह संकेत मिलता हो कि अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है, चाहे वह पहले से व्यापार में लाई गई वस्तुओं के संबंध में हो या भविष्य में व्यापार हेतु प्रस्तावित वस्तुओं के संबंध में। "परिसर " की परिभाषा तथा "होने का आशय " वाक्यांश यह और अधिक स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन गोदामों या भंडारगृहों में संग्रहीत वस्तुओं के संबंध में भी किया जाना चाहिए, चाहे वे खुले हों या बंद।

15. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय VII समन और तलाशी से संबंधित है। भाग A समन द्वारा प्रस्तुत करने से संबंधित है, भाग B तलाशी वारंट से, भाग C तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधानों से, और भाग D विविध विषयों से संबंधित है।धारा 93 सीआरपीसी न्यायालय को तीन परिस्थितियों में तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देती है–(i) जब न्यायालय को यह विश्वास करने के कारण हों कि जिस व्यक्ति को धारा 91 सीआरपीसी के तहत समन या आदेश दिया गया है या दिया जा सकता है, अथवा जिसे धारा 92 के तहत निर्देश भेजा गया है या भेजा जा सकता है, वह उसका पालन नहीं करेगा;(ii) जब जिस वस्तु की तलाशी ली जानी है, वह किसके कब्जे में है, यह न्यायालय को ज्ञात न हो;(iii) जब न्यायालय को सामान्य तलाशी या निरीक्षण आवश्यक प्रतीत हो।वारंट में उस विशेष स्थान या उसके भाग का उल्लेख किया जा सकता है जहाँ तलाशी या निरीक्षण किया जाना है, और केवल वही स्थान, जिसका उल्लेख वारंट में है, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। धारा 93(1)(ग) को उपधारा (2) के साथ पढ़ने पर " तलाशी या निरीक्षण " शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि तलाशी और निरीक्षण–दोनों के लिए वारंट अनिवार्य है तथा न्यायालय को ऐसे वारंट जारी करने की आवश्यकता के लिए "विश्वास करने के कारण" दर्ज करने होते हैं।धारा 94 और 95 क्रमशः चोरी की संपत्ति, आपत्तिजनक वस्तुओं तथा जब्त प्रकाशनों के संबंध में वारंट से संबंधित प्रावधान करती हैं।

15.1 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के भाग C की शुरुआत धारा 99 से होती है, जिसमें यह प्रावधान है कि धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के प्रावधान, यथासंभव, धारा 93, 94, 95 और 97 के अंतर्गत जारी तलाशी वारंटों पर लागू होंगे। ये प्रावधान गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में सहायता, वारंट के जारी होने, उद्देश्य, समर्थन , प्राधिकरण तथा भारत के भीतर और बाहर उनके निष्पादन से संबंधित हैं।धारा 100(1) यह निर्धारित करती है कि जहाँ किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण किया जाना है और वह बंद है, तो प्रभारी व्यक्ति को वारंट दिखाए जाने पर प्रवेश की अनुमति देनी होगी और तलाशी हेतु सभी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। धारा 100(2) के अनुसार, यदि सहयोग नहीं किया जाता है, तो धारा 47(2) (परिसर को तोड़कर प्रवेश करने की शक्ति) के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।धारा 100(4) यह अनिवार्य करती है कि इस अध्याय के अंतर्गत तलाशी करने से पूर्व, तलाशी लेने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र के दो या अधिक स्वतंत्र एवं सम्मानित व्यक्तियों (या आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रों के) को तलाशी के साक्षी बनने के लिए बुलाएगा। यदि वे मना करते हैं, तो उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और यदि वे फिर भी मना करें, तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है।धारा 100(5) यह भी अपेक्षा करती है कि तलाशी और जब्ती के साक्षी व्यक्तियों द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर किए जाएँ और उसकी एक प्रति उस स्थान के अधिवासी/कब्जाधारी को प्रदान की जाए।

15.2 भाग D की शुरुआत धारा 102 से होती है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी वस्तुओं की जब्ती से संबंधित है जो चोरी की हों या जिनके संबंध में अपराध किए जाने का संदेह हो। धारा 102(3) यह अपेक्षा करती है कि ऐसी जब्ती की सूचना तुरंत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को दी जाए। यदि जब्त वस्तुओं को न्यायालय में ले जाना संभव न हो, या उनकी

सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करना कठिन हो, या वे जांच के लिए आवश्यक न हों, तो उन्हें किसी व्यक्ति को इस शर्त पर सौंपा जा सकता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेगा।यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 102 के अंतर्गत जब्त की गई वस्तुएँ वे होती हैं जो आकस्मिक बरामदगी या सामान्य तलाशी के दौरान प्राप्त होती हैं, जैसे चोरी की वस्तुएँ या ऐसी वस्तुएँ जो संयोगवश मिली हों और जिनके बारे में अधिकारी को अपराध से संबंधित होने का संदेह हो। इसमें वे वस्तुएँ शामिल नहीं हैं जो धारा 93 के अंतर्गत की गई तलाशी या निरीक्षण के दौरान, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(4) और 100(5) के अनुसार जब्त की जाती हैं।अतः धारा 102 एक भिन्न स्थिति को संबोधित करती है—सामान्य तलाशी के दौरान जब्ती—न कि 2009 अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत की गई तलाशी या निरीक्षण के दौरान। विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 तथा 100(4)-(5) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि तलाशी के बिना जब्ती नहीं की जा सकती।

16. प्रतिवादियों ने रिट न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय, दोनों के समक्ष निरंतर यह कहा कि तलाशी और जब्ती विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अनुसार की गई थी। अब यह तर्क देना कि तलाशी नहीं बल्कि केवल निरीक्षण किया गया था, उनके पक्ष को मजबूत नहीं करता, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में धारा 15, 2009 अधिनियम तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 के अंतर्गत निर्धारित पूर्व-आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।“बंद परिसर ” का अर्थ ऐसे स्थान से है जहाँ प्रवेश ताला लगा होने या अन्य कारणों से आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता, सिवाय वहाँ के कब्जाधारी की अनुमति से। इस शब्द को संकीर्ण रूप से इस प्रकार नहीं समझा जा सकता कि खुले स्थान स्वतः ही इससे बाहर हो जाएँ, यदि वहाँ अनधिकृत व्यक्तियों का सामान्य रूप से प्रवेश संभव नहीं है।ऐसे

परिसरों में अंतर करना आवश्यक है जहाँ जनता को सीमित उद्देश्य के लिए प्रवेश की अनुमति होती है और वे स्थान जो वास्तव में सार्वजनिक होते हैं। गोदाम या भंडारगृह) के मामले में प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका मालिक से कोई व्यावसायिक संबंध हो। यहाँ तक कि व्यापारिक परिसरों में भी प्रवेश कुछ प्रतिबंधों के अधीन होता है।अतः केवल इस आधार पर कि निरीक्षण के समय कोई स्थान खुला था, यह नहीं माना जा सकता कि 2009 अधिनियम की धारा 15 या सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन आवश्यक नहीं है। कोई भी अधिकारी जो तलाशी/निरीक्षण करना और जब्ती करना चाहता है, उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है और वह बिना वारंट या विधिवत दर्ज कारणों के परिसर में जबरन प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुरक्षा उपाय, जो विशेष अधिनियम तथा सीआरपीसी दोनों में निहित हैं, मनमानी कार्रवाई को रोकने और विधि के अनुसार प्रक्रिया की गारंटी को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं।

17. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 165 बिना वारंट तलाशी के लिए आवश्यक परिस्थितियों और शर्तों को निर्धारित करती है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक तलाशी से पहले वारंट होना चाहिए और “विश्वास करने के कारण” दर्ज किए जाने चाहिए। धारा 165 उन स्थितियों में लागू होती है जहाँ आपात परिस्थितियों के कारण वारंट प्राप्त करना संभव नहीं होता।ऐसी स्थिति में अधिकारी, अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने के बाद तथा यथासंभव उस वस्तु का उल्लेख करते हुए जिसकी तलाशी की जानी है, स्वयं तलाशी कर सकता है या करवाने का निर्देश दे सकता है। धारा 165(4) यह प्रावधान करती है कि धारा 100 में निहित तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधान, धारा 165 के अंतर्गत की गई तलाशी पर भी लागू होंगे।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 165 के अंतर्गत भी आसन्न तलाशी की आवश्यकता के “विश्वास करने के कारण” यथासंभव विस्तार से दर्ज किए जाने चाहिए और धारा 100(4) की अनिवार्यता का पालन करना भी आवश्यक है।

18. यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15(4) यह अपेक्षा करती है कि जब अधिनियम के अंतर्गत तलाशी या जब्ती की जाए, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाए।साथ ही, 2009 अधिनियम की धारा 51 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि पुलिस की निवारक कार्रवाई से संबंधित सीआरपीसी की धारा 153 या उस समय लागू भारतीय दंड संहिता के प्रावधान, विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के मामलों में लागू नहीं होंगे।अतः धारा 15(4) में सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लेख इस प्रकार नहीं समझा जा सकता कि धारा 165 सीआरपीसी केवल तभी लागू होगी जब कोई अपराध पहले से दर्ज हो चुका हो। धारा 165 स्वयं अपनी उपधारा (4) में अन्य प्रावधानों को लागू करती है, जिससे किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, धारा 165 "जांच के दौरान" तलाशी से संबंधित है और यह तब लागू होती है जब जांच प्रारंभ हो जाती है।

18.1 इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुबारक अली के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि निरीक्षक द्वारा अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही जांच प्रारंभ कर दी गई थी, और यह अनुमति दस दिन के विलंब के बाद प्राप्त की गई।इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को सही ठहराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्व अनुमति की आवश्यकता एक वैध जांच के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है, न कि केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता, जिसे बाद में पूरा करके ठीक किया जा सके। चूँकि यह त्रुटि अधिकार-क्षेत्र के मूल तक जाती थी, इसलिए बाद में प्राप्त की गई स्वीकृति जांच को वैध नहीं बना सकती थी, और राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।इसी संदर्भ में, न्यायालय ने "जांच " शब्द के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:

> "12. इस दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रश्न विचारणीय नहीं रहता। किन्तु चूँकि राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा यह किया गया अवलोकन कि मजिस्ट्रेट की अनुमति

जांच प्रारंभ होने के दस दिन बाद प्राप्त की गई, गलत है, अतः इस तर्क पर संक्षेप में विचार करना उचित होगा।आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 4(1) 'जांच ' को इस प्रकार परिभाषित करती है कि इसमें उस संहिता के अंतर्गत साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाहियाँ शामिल होती हैं।संहिता का अध्याय XIV जांच की प्रक्रिया निर्धारित करता है। जांच तब प्रारंभ होती है जब पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। संहिता के अनुसार 'जांच' सामान्यतः निम्नलिखित चरणों में होती है–(i) घटनास्थल पर पहुँचना;(ii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना;(iii) संदिग्ध अपराधी की खोज और गिरफ्तारी;(iv) अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्र करना, जिसमें शामिल हो सकता है– (a) विभिन्न व्यक्तियों (जिसमें अभियुक्त भी शामिल है) का परीक्षण करना और यदि अधिकारी उचित समझे तो उनके बयान को लिखित रूप में दर्ज करना;(b) उन स्थानों की तलाशी लेना और वस्तुओं को जब्त करना, जिन्हें जांच के लिए आवश्यक समझा जाता है और जिन्हें विचारण में प्रस्तुत किया जाना है;(v) एकत्रित सामग्री के आधार पर यह राय बनाना कि क्या अभियुक्त को विचारण हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का मामला बनता है, और यदि हाँ, तो धारा 173 के अंतर्गत आरोप-पत्र) दाखिल करके आवश्यक कदम उठाना।"– देखिए: एच. एन. ऋषबुद बनाम दिल्ली राज्य SC/0049/1954 : 1955CriLJ526 ....."

19. जैसा कि ऊपर देखा गया, विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 "तलाशी " और "निरीक्षण " दोनों का उल्लेख करती हैं, और इन्हें अलग-अलग कार्यवाहियाँ मानती हैं।"निरीक्षण " का अर्थ है किसी व्यक्ति के परिसर में उसके अभिलेखों, रजिस्टरों या दस्तावेजों का सत्यापन , जो सामान्यतः संबंधित कानून के अंतर्गत प्राधिकरण, "विश्वास करने के कारण" दर्ज करने तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिनियम के अनुपालन की जाँच करना होता है।इसके विपरीत, "तलाशी " का दायरा

अधिक व्यापक है। इसमें किसी भी स्थान पर जाकर उन वस्तुओं, माल, पुस्तकों या दस्तावेजों की खोज करने की शक्ति शामिल है, जिन्हें छिपाया गया हो और जो किसी उल्लंघन का साक्ष्य हो सकते हैं तथा जिन्हें जब्त या अधिग्रहित किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, तलाशी या निरीक्षण–दोनों के लिए सामान्यतः वारंट आवश्यक होता है और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसे "विश्वास करने के कारण" हों कि ऐसी तलाशी आवश्यक है।

19.1 "जप्ती " का अर्थ है किसी वस्तु को जांच या पूछताछ के उद्देश्य से अपने कब्जे में लेना। "निरोध " का अर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का मालिक उसके कब्जे में रहते हुए भी उसके उपयोग से वंचित कर दिया जाता है।इसके अतिरिक्त, विशेष अधिनियम के अंतर्गत तलाशी के बाद की जाने वाली जप्ती में एक सूक्ष्म अंतर होता है, जिसमें अनिवार्य चरणों का पालन करना होता है। ऐसी कार्यवाही केवल उल्लंघन के लिए अभियोजन करने हेतु ही नहीं, बल्कि आगे होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए भी की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

19.2 किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत बिना वारंट के की जाने वाली प्रत्येक तलाशी में "विश्वास करने के कारण" दर्ज करना अनिवार्य है। तलाशी की आवश्यकता दर्शाने वाले कारण प्रासंगिक होने चाहिए और वे किसी सूचना–चाहे वह किसी तीसरे व्यक्ति से प्राप्त हुई हो या व्यक्तिगत ज्ञान से–पर आधारित होने चाहिए, तथा केवल अनुमान या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित नहीं हो सकते।ऐसे कारण मात्र संदेह या व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं हो सकते; बल्कि एक विवेकशील व्यक्ति के लिए यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त ठोस आधार होना चाहिए कि तलाशी और/या जप्ती आवश्यक है।

19.3 इसी प्रकार, तलाशी के दौरान वस्तुओं, सामग्रियों या दस्तावेजों की जप्ती से पहले भी उचित विचार होना आवश्यक है। जब्त की गई वस्तुओं और संबंधित उल्लंघन के बीच तार्किक संबंध होना चाहिए।जिस प्राधिकारी द्वारा जप्ती की जाती है, उसे उसके लिए कारण दर्ज करने चाहिए, और वे कारण यह दर्शाने

चाहिए कि उपलब्ध सामग्री पर समुचित विचार किया गया है।(देखें: मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुबारक अली और राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ)

19.4 आगे, इस न्यायालय ने नारायणप्पा बनाम आयकर आयुक्त, बैंगलोर में "विश्वास करने के कारण" अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित कहा–

"4. यह विश्वास सद्भावना में होना चाहिए; यह मात्र दिखावा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, न्यायालय यह जाँच कर सकता है कि विश्वास के लिए दिए गए कारणों का उस विश्वास के निर्माण से कोई तार्किक संबंध या प्रासंगिकता है या नहीं, और वे उस धारा के उद्देश्य से असंबंधित या अप्रासंगिक तो नहीं हैं। इस सीमित सीमा तक, आयकर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने की वैधता न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।"

19.5 यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक विशेष अधिनियम, जैसे– विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, तथा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम,1985, और विभिन्न राज्यों के कई निरस्त अप्रत्यक्ष कर कानून– इन सभी में तलाशी और जप्ती से संबंधित प्रावधान निहित हैं।यह सूची केवल उदाहरणात्मक है, पूर्ण नहीं, क्योंकि ऐसे कई अन्य अधिनियम भी हैं जिनमें समान प्रावधान हैं। इन सभी अधिनियमों में तलाशी और जप्ती का उद्देश्य प्रायः किसी चल रही जांच में साक्ष्य एकत्र करना होता है, और कुछ मामलों में उल्लंघन को रोकना भी होता है।इसके अतिरिक्त, इन सभी अधिनियमों में, जहाँ तक तलाशी और जप्ती का प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। यह भी स्थापित विधि है कि जब तक सीआरपीसी के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया जाता, वे विशेष अधिनियमों पर भी लागू होते हैं।(देखें: अशोक मुनिलाल जैन बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और राधिका अग्रवाल बनाम भारत

संघ)अतः, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी।

20. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 02.07.2020 को, कार्यावधि के दौरान, अपीलकर्ता के स्वामित्व वाले एक वाणिज्यिक गोदाम में तलाशी एवं निरीक्षण किया गया तथा 2011 के नियमों के नियम 24(क) तथा 2009 के अधिनियम की धारा 36(1) के कथित उल्लंघन के आधार पर 7,600 पूर्व-पैक थोक पैकेज (अभ्यास पुस्तिकाएँ) जब्त की गईं। उक्त तलाशी बिना वारंट के की गई तथा तलाशी/निरीक्षण अथवा माल की जब्ती के लिए किसी भी प्रकार के कारण अभिलेखित (रिकॉर्ड) नहीं किए गए। अतः उक्त तलाशी एवं जब्ती स्पष्ट रूप से प्रक्रिया संबंधी उल्लंघनों से दूषित है।

20.1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और यह एक विधिक अनिवार्यता है कि प्राधिकरणों की कार्यवाही मनमानी, शक्ति के दुरुपयोग अथवा दुरुपयोग का रूप न ले। जब विधि किसी कार्यवाही हेतु एक विशिष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करती है, तो उसका कठोरतापूर्वक पालन किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में संविधान पीठ ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह और अन्य में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि यदि कोई अधिकृत अधिकारी एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की तलाशी लेना चाहता है, तो उसे उस व्यक्ति को यह सूचित करना अनिवार्य है कि वह चाहे तो उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई जा सकती है। इस सुरक्षा को अभियुक्त को प्रदत्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, अतः इसका अक्षरशः पालन आवश्यक है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि अभियुक्त को उसके अधिकार की सूचना देना अनिवार्य है, भले ही वह लिखित रूप में न हो; और इस दायित्व

का पालन न करने की स्थिति में तलाशी अवैध मानी जाएगी। प्रक्रिया संबंधी उल्लंघनों पर विचार करते हुए पीठ ने निम्नलिखित चेतावनी दी–

“57. उपर्युक्त तर्क एवं विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

...

(4) यह निस्संदेह आवश्यक है कि समाज को अपराधियों से सुरक्षित रखा जाए। यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को इस आधार पर छोड़ दिया जाए कि उनके विरुद्ध साक्ष्य को अस्तित्वहीन माना जाए, तो सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य प्रभावित होगा। अतः इसका समाधान यह है कि अन्वेषण एजेंसी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक पालन करे, और ऐसा न करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे इस प्रकार की शिथिलता पर अंकुश लगाया जा सके। प्रत्येक मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण होता है, किन्तु उसे प्राप्त करने के साधन भी विधिसम्मत एवं निष्कलंक होने चाहिए। उपचार, रोग से भी अधिक घातक नहीं होना चाहिए। यदि न्यायालय अन्वेषण एजेंसी द्वारा तलाशी के दौरान की गई विधि-विरुद्ध कार्यवाहियों को स्वीकार करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया की वैधता संदेह के घेरे में आ सकती है तथा विधि के प्रति सम्मान भी कम हो सकता है, जिससे न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा स्वीकार्य नहीं है। प्रत्येक अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण का अधिकार है। अन्यायपूर्ण विचारण के आधार पर दिया गया दोषसिद्धि आदेश, न्याय की हमारी अवधारणा के प्रतिकूल है। धारा 50 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में एकत्रित साक्ष्य का उपयोग विचारण में करना, विचारण को अन्यायपूर्ण बना देगा...।”

20.2. राजस्थान राज्य बनाम रहमान में यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत एक उत्पाद शुल्क

अधिकारी द्वारा की गई तलाशी पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधान लागू होते हैं। उस मामले में तलाशी, धारा 165 के अधीन आवश्यक कारणों को अभिलेखित किए बिना की गई थी। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली तलाशी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। परिणामस्वरूप यह ठहराया गया कि धारा 165 पूर्णतः लागू होती है, और चूँकि तलाशी उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई थी, अतः वह अवैध है। प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं–

"7. अब हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि तलाशी की विधि को नियंत्रित करने वाले उसके कौन-से प्रावधान नियम 201 के अंतर्गत उप-अधीक्षक को प्रदत्त शक्तियों पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में तलाशी को विनियमित करने वाले प्रावधानों को चार समूहों में विभाजित किया गया है। धारा 47, 48, 51 और 52 संहिता के अध्याय V में निहित हैं, जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी, पलायन तथा पुनः गिरफ्तारी से संबंधित है। धारा 47 उस स्थान की तलाशी का प्रावधान करती है जहाँ वह व्यक्ति गया हो जिसकी गिरफ्तारी की जानी है; धारा 48 उस स्थिति में प्रक्रिया बताती है जब प्रवेश संभव न हो; तथा धारा 51 और 52 गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित हैं।दूसरा समूह अध्याय VII की धारा 100, 101, 102 और 103 से मिलकर बना है। धारा 100 ऐसे व्यक्तियों की तलाशी से संबंधित है जिन्हें अवैध रूप से निरुद्ध किया गया हो, और अन्य धाराएँ तलाशी वारंट, बंद स्थानों के प्रभारी व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा तलाशी के साक्षी के रूप में व्यक्तियों को बुलाने से संबंधित सामान्य प्रावधान हैं।

तीसरा समूह धारा 153 है, जो अध्याय XIII के अंतर्गत आता है और पुलिस की निवारक कार्यवाही से संबंधित है। धारा 153 के अनुसार, यदि किसी पुलिस

अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके क्षेत्राधिकार में प्रयुक्त या रखे गए बाट, माप या तौल के उपकरण असत्य हैं, तो वह बिना वारंट तलाशी कर सकता है।चौथा समूह अध्याय XIV में निहित है, जो संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत तलाशी की शक्ति उस अन्वेषण का अंग है जिसे पुलिस अधिकारी विधि द्वारा करने के लिए अधिकृत है। धारा 165 के अंतर्गत चार शर्तें निर्धारित की गई हैं–(i) पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार होना चाहिए कि अपराध की जांच के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई वस्तु, उसके मत में, बिना अनावश्यक विलंब के तलाशी के अतिरिक्त अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती;(ii) वह अपने विश्वास के आधारों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा तथा जहाँ तक संभव हो, जिन वस्तुओं की तलाशी ली जानी है उनका उल्लेख करेगा; (iii) जहाँ तक संभव हो, वह स्वयं तलाशी करेगा; तथा (iv) यदि स्वयं तलाशी करना संभव न हो, तो वह ऐसा न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और अधीनस्थ अधिकारी को लिखित प्राधिकरण देकर तलाशी करने हेतु अधिकृत करेगा, साथ ही यथासंभव तलाशी के स्थान और जिन वस्तुओं की तलाशी ली जानी है उनका उल्लेख करेगा।चूँकि तलाशी की प्रक्रिया स्वभावतः अत्यंत मनमानी हो सकती है, इसलिए विधि द्वारा इस शक्ति के प्रयोग पर कठोर वैधानिक शर्तें अधिरोपित की गई हैं। उपर्युक्त प्रावधानों की नियम 201 के प्रावधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी की तुलना नियम 201 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी से की जा सकती है; क्योंकि प्रथम स्थिति में पुलिस अधिकारी अपराध की जांच के दौरान तलाशी करता है, जबकि द्वितीय स्थिति में अधिकृत अधिकारी यह पता लगाने के लिए तलाशी करता है कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो कि एक अपराध है।ऐसा कोई कारण नहीं है कि धारा 165 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी पर तो शर्तें लागू हों,

परन्तु नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाने वाली तलाशी पर ऐसे कोई सुरक्षा उपाय लागू न हों। हमारा मत है कि विधायिका ने अधिनियम की धारा 18 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करके कि अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत तलाशी, संहिता के तलाशी संबंधी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, यह संकेत दिया है कि उपयुक्त प्रावधान संहिता के ही लागू होंगे। अतः हम यह घोषित करते हैं कि नियम 201 के अंतर्गत तलाशी करते समय संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।”

8. ... द्वितीय प्रतिवाद में भी कोई सार नहीं है। कारणों का अभिलेखन (रिकॉर्डिंग) किसी अधिकारी को तलाशी करने का अधिकार-क्षेत्र प्रदान नहीं करता, यद्यपि यह तलाशी करने की एक अनिवार्य शर्त अवश्य है। तलाशी करने का अधिकार या शक्ति विधि द्वारा प्रदान की जाती है, न कि कारणों के अभिलेखन से उत्पन्न होती है।इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करती है कि तलाशी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। संहिता की धारा 165 तलाशी करते समय अनुसरण किए जाने वाले विभिन्न चरणों का निर्धारण करती है। कारणों का अभिलेखन तलाशी की प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण) चरण है, और इसकी अवहेलना करना तलाशी से संबंधित विधिक प्रावधानों के एक आवश्यक भाग की उपेक्षा करना है।यदि इस अनिवार्य प्रक्रिया की अवहेलना की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि तलाशी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप की गई है; बल्कि ऐसी तलाशी संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल में) की गई मानी जाएगी।

9. “उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान मामले में उप-अधीक्षक द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई तलाशी अवैध थी।”

20.3. इस न्यायालय ने रविंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य में यह प्रतिपादित किया कि तलाशी की संपूर्ण कार्यवाही ही दूषित हो गई थी और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध दर्ज शिकायत एवं एफआईआर को निरस्त कर दिया गया। उस मामले में तलाशी, गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम , 1994 की धारा 30(1) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। यह अवलोकन किया गया कि अवैध तलाशी के दौरान प्राप्त सामग्री तथा उसके परिणामस्वरूप जब्त दस्तावेजों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो अभियुक्त को 1994 के अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से जोड़ता हो। चूँकि तलाशी स्वयं पूर्णतः अवैध थी, अतः केवल ऐसी अवैध तलाशी पर आधारित अभियोजन की निरंतरता को विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं–

> *“12. प्रश्न यह है कि ‘विश्वास करने का कारण है अभिव्यक्ति को क्या अर्थ दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 26 में ‘विश्वास करने का कारण” की परिभाषा इस प्रकार दी गई है–*
>
> > *‘26. ‘विश्वास करने का कारण”.– किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के संबंध में “विश्वास करने का कारण” तब कहा जाएगा जब उसके पास उस तथ्य पर विश्वास करने हेतु पर्याप्त आधार हो, अन्यथा नहीं।’*
>
> *असलम मोहम्मद मर्चेंट बनाम सक्षम प्राधिकारी के मामले में इस न्यायालय को उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 41 में यह कहा गया–*
>
> > *‘41. अब यह स्थापित विधि है कि जब भी किसी अधिनियम में विश्वास करने का कारण” का प्रावधान किया जाता है, तो या तो उसके कारण नोटिस के अभिलेख पर परिलक्षित होने चाहिए अथवा वे उन सामग्रियों में उपलब्ध होने चाहिए जो अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हों।’*

हालाँकि, इस अभिव्यक्ति की व्याख्या उस संदर्भ पर निर्भर करेगी जिसमें इसे किसी विशेष अधिनियम में प्रयुक्त किया गया है। कुछ अधिनियमों, जैसे कि वर्तमान अधिनियम में, यदि प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कुछ तथ्य विद्यमान हैं, तो वह कार्यवाही आरंभ कर सकता है। परीक्षण यह है कि क्या एक विवेकशील व्यक्ति, उसके समक्ष रखी गई परिस्थितियों में, अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रेरित होगा।1994 के अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विश्वास करने का कारण" की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि वह प्रक्रिया संबंधी बाधा उत्पन्न करे। इसका कारण यह है कि यदि उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत होती है जिसके आधार पर तलाशी की कार्यवाही अपेक्षित है, और यदि उसमें विलंब किया जाता है, तो तलाशी के आदेश पारित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः आवश्यक यह है कि शिकायत या अन्य प्राप्त सामग्री को तत्काल उसके सभी सदस्यों के समक्ष रखा जाए।उक्त सामग्री का परीक्षण करने के पश्चात उपयुक्त प्राधिकारी को शीघ्रतापूर्वक यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या 1994 के अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, इस संबंध में 'विश्वास करने का कारण' विद्यमान है। उपयुक्त प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारणों को अभिलेखित करना आवश्यक नहीं है कि उसे 'विश्वास करने का कारण' है; किन्तु उस विश्वास के गठन हेतु एक तर्कसंगत आधार अवश्य होना चाहिए।हालाँकि, धारा 30(1) के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्णय उपयुक्त प्राधिकारी का होना चाहिए, न कि उसके व्यक्तिगत सदस्यों का।"

14. इसलिए, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, उचित प्राधिकारी द्वारा धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत अपीलकर्ता के क्लिनिक की तलाशी लेने के संबंध में कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 30 की उप-धारा (1) एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिसमें यह शर्त रखी गई है कि तलाशी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब उचित प्राधिकारी

के पास यह मानने का कारण हो कि 1994 के अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है। इस मामले में, उचित प्राधिकारी का कोई निर्णय मौजूद नहीं है; बल्कि तलाशी लेने का निर्णय सिविल सर्जन का एक व्यक्तिगत निर्णय था, जो संबंधित उचित प्राधिकारी के अध्यक्ष थे। इसलिए, तलाशी की यह कार्रवाई अपने आप में ही दोषपूर्ण है।

16. विवादित FIR और विवादित शिकायत का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इनका आधार वह सामग्री है, जिसे 27 अप्रैल 2017 को की गई छापेमारी (रेड) के दौरान ज़ब्त किया गया था। तलाशी के दौरान मिली सामग्री और ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों के अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त को 1994 के अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध से जोड़ता हो। चूंकि यह तलाशी अपने आप में ही पूरी तरह से अवैध है, इसलिए ऐसी अवैध तलाशी के आधार पर मुकदमे को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। उच्च न्यायालय को उस अवैधता पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए था, जिसे हमने इंगित किया है।

21. हम पहले ही यह निर्णय दे चुके हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(4) एवं 100(5) वर्तमान मामले पर लागू होती हैं। तदनुसार, स्थानीय क्षेत्र से दो सम्मानित एवं स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे गवाह किसी अन्य क्षेत्र से भी लिए जा सकते हैं, बशर्ते वे स्वतंत्रता और सम्माननीयता की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।किन्तु, वर्तमान मामले में सहायक नियंत्रक के चालक–जो स्वयं निरीक्षण दल का हिस्सा था–को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो विधि का उल्लंघन है। यद्यपि प्रतिवादियों ने यह दावा किया कि स्थानीय क्षेत्र से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ, तथापि अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किन व्यक्तियों से संपर्क किया गया, कब ऐसा अनुरोध किया गया, क्या कोई लिखित अनुरोध दिया गया, तथा इसके पश्चात क्या कार्यवाही की गई।जब्ती पंचनामा भी प्रतिवादियों के पक्ष का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐसे किसी दावे

का उल्लेख नहीं है, जिन पर अब उनके बचाव में निर्भर किया जा रहा है।यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ प्रारंभिक कार्यवाही ही दूषित हो, वहाँ उसके पश्चात की समस्त कार्यवाहियाँ अवैध एवं अस्थिर हो जाती हैं। विधि के उल्लंघन में किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उससे कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ; प्रत्येक विधि उल्लंघन को कुछ न कुछ पूर्वाग्रह उत्पन्न करने वाला माना जाता है।

22. आगे, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि कंटेनर में रखे गए माल का स्वरूप, गुणवत्ता या वजन, लेबल पर अंकित विवरण से भिन्न था। जब्ती पंचनामा में केवल यह उल्लेख किया गया है कि पैकेजों पर नियम 24(क) के अनुसार आवश्यक स्पष्ट एवं प्रमुख घोषणाएँ अंकित नहीं थीं, जो यह अपेक्षा करता है कि थोक पैकेजों पर विवरण मुद्रित हों, न कि केवल लेबल के रूप में चिपकाए जाएँ। यह विवादित नहीं है कि विवरण दिए गए थे; प्रतिवादियों का केवल यह तर्क है कि वे मुद्रित होने के स्थान पर लेबल के रूप में लगाए गए थे। अपीलकर्ता का कहना है कि माल को परिवहन हेतु CFCs में संग्रहीत किया गया था तथा विधि के अनुसार आवश्यक विवरण वाला लेबल विधिवत चिपकाया गया था। अतः कथित उल्लंघन अधिकतम एक तकनीकी उल्लंघन मात्र था। इस तर्क को इस न्यायालय के निर्णय महाराष्ट्र राज्य बनाम राज मार्केटिंग तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण अधिसूचना से बल मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि थोक पैकेजों पर लेबल लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। FAQ 17 एवं 19 भी यह स्पष्ट करते हैं कि परिवहन हेतु कंटेनरों में भंडारण को थोक पैकेजिंग नहीं माना जाएगा।

23. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, तलाशी से लेकर जब्ती तक की संपूर्ण कार्यवाही अवैध एवं अस्थिर है, क्योंकि न तो कोई वारंट प्राप्त किया गया और न ही तलाशी, निरीक्षण अथवा जब्ती हेतु कोई कारण अभिलेखित किए गए। विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165, 100(4) और 100(5) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अवहेलना की गई। स्वयं 2009

का अधिनियम अपनी धाराओं 42 एवं 43 के अंतर्गत ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान करता है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना, जिसमें तलाशी या जब्ती से पूर्व "विश्वास करने के कारण" का अभिलेखन भी शामिल है, अधिकारियों के लिए अनिवार्य है; इसका पालन न करने से कार्यवाही निष्फल हो जाती है और अधिकारों का मनमाना प्रयोग होता है।वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने न केवल 2009 के अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन किया, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) एवं 165 का भी अनुपालन नहीं किया। साथ ही, अभिलेख में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तलाशी इतनी अत्यावश्यक थी कि वारंट प्राप्त करने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सके। निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के उसी दिन 2009 के अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें अधिनियम की धाराओं 29, 36(1), 36(2) तथा 2011 के नियमों के नियम 18(2) एवं 27 के उल्लंघन हेतु समापन शुल्क निर्दिष्ट किया गया तथा अपीलकर्ता को 15 दिनों के भीतर उत्तर देने का निर्देश दिया गया, अन्यथा आगे विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा इन नोटिसों को विधिसम्मत रूप से निरस्त कर दिया गया था, किंतु खंडपीठ ने त्रुटिपूर्ण रूप से उस आदेश को पलट दिया। अतः, प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए नोटिस/आदेश तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय एवं आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश का आदेश पुनः प्रभावी किया जाता है।

24. तदनुसार, डब्ल्यू.ए. सं. 572/2020 के निर्णय से उत्पन्न अपील स्वीकार की जाती है। चूँकि रिट अपील का निर्णय निरस्त कर दिया गया है, इसलिए पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति के विरुद्ध दायर अपील में कोई अतिरिक्त आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, और वह अपील भी इसी के साथ निस्तारित की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

25. संबंधित विविध आवेदन , यदि कोई हों, भी निस्तारित माने जाएंगे।

मामले का परिणाम: **अपीलें निस्तारित की गईं।**

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडे द्वारा तैयार *किया गया है*।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
मधु कुमारी के द्वारा *किया गया है*।